(66)

53

[Pt. II, Sec. 3 (ii), Dt. 5.7.69, Pp. 2685 to 2687]

228

No. 2/2/69-UTL(i)
Government of India
Ministry of Home Affairs

New Delhi-1, the 21st June, 1969
31 Jyaistha, 1891

NOTIFICATION

S.O. 2566 .- In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, read with sub-paragraph (2) of paragraph 18 of the Sixth Schedule thereto, and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of HomeAffairs No. G.S.R. 1310 dated the 1st October, 1962 and No. S.O. 3061 dated the 19th October, 1963, the President hereby directs that, subject to his control and until further orders, the powers and functions of the Central Government under the provisions of the Arms Act, 1959(54 of 1959), the Arms Rules, 1962 ~~and the notifications~~, as are specified in column 1 of the Schedule hereto annexed, shall also be exercised and discharged by the Administrators of all Union territories (whether known as Lieutenant Governor, Chief Commissioner or Administrator), in relation to their respective Union territories, and by the Governor of Assam, in relation to the tribal areas specified in Part B of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution, subject to the general conditions hereinafter specified and to other conditions mentioned against such provisions in column 2 of the Schedule.

(180)

General conditions

(1) The Administrators and the Governor of Assam shall observe the policies and instructions laid down by the Central Government and shall not enunciate new policies or issue instructions which are inconsistent with those of the Central Government without prior consent of that Government.

(2) Notwithstanding the direction contained in this notification, the CentralGovernment may itself exercise and discharge any or all of the powers and functions under the provisions specified in the Schedule.

----2/-

SCHEDULE

Provisions of the Act, Rules or notifications.	Special conditions, if any, subject to which the powers or functions may be exercised or discharged.
1	2
I. The Arms Act, 1959:	
Sections: 2(4), 4, 10(2) 13(3)(a)(ii), 17(9), 19(1), 22(2) 23, 24, 34	Sanction is to be accorded in consultation with the local customs authorities.
42(1), 45(b)(i) and 45(b)(iii)	
II The Arms Rules, 1962:	
(i) Rules 2(c), 2(f)(iii) 11	
26,27,42(1), 43(3), 48(1)	
57(3)	The entrustment under this rule is of the following power only, namely, by general or special order to remit or reduce the fee payable in respect of the grant or renewal of any licence - (a) for the transport or possession of sulphur in reasonable quantities proved to the satisfaction of the Administrator/Governor to be required in good faith for medicinal, agricultural, manfacturing or industrial purposes other than the manufacture of ammunition; or (b) under rule 28 to any person for the import of any arms or ammunition in reasonable quanitities proved to the satisfaction of the authority granting the

-----3/-

licence to be required in good faith for the protection of persons and property.

61.

ii) Schedules:
II: Item Nos. 2,3(g) and 21

III: Licence Forms:

II, condition 3
III, conditions 4, 7 and 10
III-A, condition 3
IV, conditions 5 & 6
V, conditions 6 and 7
VI, conditions 4 and 7
VIII, condition 5.
IX, conditions 2, 3, 8, 11 and 12 (proviso)
X, conditions 4 and 5
XI, conditions 2, 3, 7, 10 and 11 (proviso)
XII, conditions 2, 3, 6, 9 and 10 (proviso)
XIII, conditions 2, 3, 6, 9 and 10 (proviso)
XIV, conditions 3 and 8
XV, condition 3(a)(ii)

III Notifications:

(i) No. 15/13/59-(V)-P.IV dated the 13th July, 1962 [G.S.R. 991, published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i), dated the 28th July, 1962]

Proviso (b) (i) and (b) (ii)

Schedule I

Column 4 of entry 3(b)

Column 4 of entry 4

Column 1 of entry 6

Schedule II -

Entry 1 - Clauses (3)[Proviso in column 2], (4), (5), (9) (a), ~~9(a)~~, 9(b), 12(b), 13(a), and 13(b);

entry 2 (proviso in column 2),
entry 3 (proviso in column 2),

1	2
	(2) No. 15/13/59(VI)-P. IV dated the 13th July, 1962 (G.S.R. 993 published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i), dated 28th July, 1962).

Entry 5 of the Table.

[F.2/2/69-UTL(i)]

Sd: P.N. Kaul
Deputy Secretary to the Govt. of India.

No.2/2/69-UTL(i) Dated the 21st June, 1969

Copy with a copy of the Hindi version of the notification forwarded to:-

1. All Union Territory Administrations/Governments.
2. The Adviser to the Governor of Assam, Shillong.
3. All State Governments.
4. All Ministries and Departments of the Govt. of India. (except the Ministry of Law(Leg.Deptt.)
5. The Ministry of Law (Leg. Deptt.) (Correction Section) New Delhi (with 60 spare copies of each) for record and reference.
6. The Official Language (Legislative Commission), Ministry of Law, New Delhi with reference to their u.o. No.F.2(369)/69 dated 6th May, 1969.
7. C.C.I. & E, New Delhi.
8. D.G.C.A., New Delhi.
9. Collector of Customs, Bombay/Calcutta/Madras/Kandla/Visakhapatnam.
10. Collector of Customs and Central Excise Bombay/Calcutta/Madras/Delhi/Patna/Shillong/Jamnagar/Baroda/Allahabad/Pondicherry/Cochin/Hyderabad/Poona/Nagpur/Bangalore.
11. Collector of Excise and Land Customs, Calcutta.
12. Director, Central Bureau of Investigation, New Delhi.
13. Chief Inspector of Explosives in India, Nagpur.
14. Police IV Section (with 10 spare copies of each).

(P.N. Kaul)
Deputy Secretary to the Govt. of India.

DDK.

(10)

57

भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

[Pt.II, Sec.3(ii), Dt. 5.7.69 pp 2687-2690]

नई दिल्ली-1, 21 जून, 1969

ज्येष्ठ, 1891

अधिसूचना

का० आ० 2568 -- संविधान की षष्ठ अनुसूची के पैरा 18 के उप-पैरा (2) के साथ पठित, उसके अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचनाओं सं० सा०का०नि० 1310, तारीख 1 अक्तूबर, 1962 और सं० का० आ० 3061 तारीख 19 अक्तूबर, 1963 को अतिष्ठित करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा यह निदेश देते हैं कि उनके नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए और आगे आदेश होने तक, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) आयुध नियम, 1962 और उन अधिसूचनाओं के जो एतदुपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, उपबन्धों के अधीन, इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट साधारण शर्तों और अनुसूची के स्तंभ 2 में ऐसे उपबन्धों के आगे वर्णित अन्य शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों (चाहे वे उप-राज्यपाल कहलाते हों या मुख्य आयुक्त या प्रशासक) द्वारा भी अपने अपने राज्य-क्षेत्रों के सम्बन्ध में, और असम के राज्य पाल द्वारा संविधान की षष्ठ अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के भाग ख में विनिर्दिष्ट जन जाति क्षेत्रों के सम्बन्ध में किया जायगा ।

साधारण शर्तें

(1) प्रशासकगण और असम का राज्यपाल केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों और अनुदेशों का पालन करेंगे और केन्द्रीय सरकार की पूर्व सम्मति के बिना ऐसी नई नीतियां प्रतिपादित नहीं करेंगे या ऐसे अनुदेश नहीं निकालेंगे जो उस सरकार की नीतियों या अनुदेशों से असंगत हों ।

--2--

(2) इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किसी निदेश के होते हुए भी, अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अधीन किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन केन्द्रीय सरकार स्वयं कर सकेगी ।

अनुसूची

अधिनियम, नियमों या अधिसूचनाओं के उपबन्ध (1)	विशेष शर्तें, यदि कोई हों, जिनके अध्यधीन रहते हुए क शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का निर्वहन किया जा सकेगा । (2)
1- आयुध अधिनियम, 1959 :	
धाराएं :	
2(4), 4, 10(2)	
13(3)(क)(ii), 17(9),	
19(i), 22(2)	मंजूरी स्थानीय सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के परामर्श से दी जानी है ।
23, 24,	
34,	
42(1), 45(ख)(i) और	
45(ख) (iii)	
2- आयुध नियम, 1962 :	
(1) नियम	
2(ग), 2(च) (iii)	
11	
26, 27, 42(1), 43(3), 48(1)	
57(3)	इस नियम के अधीन केवल

निम्नलिखित शक्ति का न्यस्तीकरण है, अर्थात्

(2)

(क) गन्धक के उचित मात्रा में परिवहन के लिए या कब्जे में रखने के लिए जिसके बारे में प्रशासक राज्यपाल को समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाए कि वह चिकित्सीय, कृषि सम्बन्धी विनिर्माण या औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जो गोला-बारूद के विनिर्माण क से भिन्न हों सद्भावपूर्वक अपेक्षित है, अथवा

(ख) किसी व्यक्ति को नियम 28 के अधीन उचित मात्रा में किसी आयुध या गोला-बारूद के आयात के लिए, जिसके बारे में अनुज्ञप्ति देने वाले पाधिकारी को समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाए कि वह व्यक्तियों और सम्पत्ति की रक्षा के लिए सद्भावपूर्वक अपेक्षित है :

साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी अनुज्ञप्ति की मंजूरी नवीकरण की बाबत सदेय फीस का परिहार करना या उसे कम करना ।

61. (ii) अनुसूचियां

II. मद संख्याएं 2,3 (ख) और 21- शून्य

3. <u>अनुज्ञप्ति के प्ररूप :</u>

II शर्त 3

III शर्तें 4,7 और 10

III-क शर्त 3

IV शर्तें 5 और 6

V शर्तें 6 और 7

VI शर्तें 4 और 7

VII शर्त 5

VIII शर्तें 2,3,8,11 और 12 (परन्तुक)

--4--

	(1)	(2)
X	शर्तें 4 और 5	
XI	शर्तें 2,3,7,19 और 11 (परन्तुक)	
XII	शर्तें 2,3,6,9, और 10 (परन्तुक)	
XIII	शर्तें 2,3,6,9 और 10 (परन्तुक)	
XIV	शर्त 3 और 8	
XIV	शर्त 3 (क) (II)	

(III) अधिसूचनाएं :

(i) सं0 15।13।59 (v) -पी0 4 तारीख 13 जुलाई, 1962 (भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3(I), तारीख 28 जुलाई, 1962 में प्रकाशित सा0 का0 नि0 991)

परन्तुक (ख) (i) और (ख) (ii)

अनुसूची 1

प्रविष्टि 3 (ख) का स्तंभ 4

प्रविष्टि 4 का स्तंभ 4

प्रविष्टि 6 का स्तंभ 1

अनुसूची 2-

प्रविष्टि 1- खण्ड (3) (स्तंभ 2 में परन्तुक)
(4),(5),(9)(क), 9(ख),12)(ख),
13(क) और 13(ख) :

प्रविष्टि 2 (स्तंभ 2 में परन्तुक)

प्रविष्टि 3 (स्तंभ 2 में परन्तुक)

(2) सं0 15।13।59 (VI) -पी0 IV तारीख 13 जुलाई 1962 (भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3(i), तारीख 28 जुलाई, 1962 में प्रकाशित सा0 का0 नि0 993)

सारणी की प्रविष्टि 5

(सं0 एफ0 2।2।69-यूटी0एल0-(I)

(पी0 एन0 कौल)

उप सचिव, भारत सरकार